(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1093—तीन/11 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—06—2011 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 15/निगरानी/2008—09.

.....

1—कमला प्रसाद तनय रामदुलारे साहू
2—राममिलन साहू तनय रामदुलारे साहू
निवासीगण ग्राम राजा सरई तहसील सिंगरौली
जिला सिंगरौली म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूद्ध

1—अंजू कुमारी सिन्हा पत्नी सूर्यनारायण सिन्हा
निवासी ग्राम एन0टी0पी0सी0 विन्ध्य नगर
तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0
2—म0 प्र0 शासन

---- अनावेदकगण

.....

श्री अंजनी कुमार सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अखण्ड प्रताप सिंह, अभिभाषक, अनावेदक—1
अनावेदक क0—2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 01—06—18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश 20—06—2011 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत इस आशय का तहसीलदार तहसील सिंगरौली के न्यायालय में प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा कमांक 111 रकवा 11.18 है0 के अंश भाग 2.00 है0 पर आवेदक कमांक 1 व 2.00 है0 पर आवेदक कमांक–2 की कब्जे की भूमियां है जिनमें वे भूमिहीन कृषि श्रमिक की हैसियत से काविज होकर वर्ष 1979–1980 से कास्त करते चले आ रहे हैं । अतः उन्हें अधिनियम 1984 के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जावे। उक्त आवेदन प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार ने 18/अ–19(4)/93–94 के रूप में दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुये आवेदकगण को अधिनियम 1984 के अनुसार पात्र पाये जाने पर आदेश दिनांक 17.1.94 को एवं 9.9.92 को आवेदकगण को उक्त भूमियों पर भूमिस्वामी हक प्रदान किया गया। अनावेदक कमांक–1 द्वारा की गई शिकायत पर अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 35/अ–74/2006–07 के द्वारा पुर्नविलोकन में लेकर आदेश दिनांक 2.1.07 एवं 22.1.07 को आवेदकगंण का पटट्ा निरस्त कर दिया जिससे दुखित होकर अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 15.9.08 को निरस्त कर दी गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके प्रकरण कमांक 15/निगरानी/08–09 पर दर्ज कर दिनांक 20.6.11 को निरस्त कर दी गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश वधि एवं प्रकिया के विपरीत तथा प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों तथा साक्ष्यों के भी विपरीत होने

के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा आवेदकगण के पटटे व कब्जे की भूमि को बिना किसी आधार के म0 प्र0 शासन की शासकीय उद्यान पौध रोपणी के कार्य की भूमि मानकर आदेश पारित किया है जो आदेश अवैधानिक व बिना प्रकरण के विधवत अवलोकन के होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा यह भी विनिश्चय आदेश में दिया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त अभिमत देने के पूर्व इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 में पुर्नविलोकन का कोई प्रावधान ही नहीं है तो पुर्नविलोकन में लेकर आदेश पारित करने हेतु अनुमति मिलने या लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है इस तरह से अनुमति मिल जाने से प्रावधान का श्रृजन नहीं हो जाता है, और बिना प्रावधान के पारित आदेश का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होने से पारित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदिका कमांक–1 को वादित भूमि में किस तरह से हित रखती है तथा क्या अनावेदिका को प्रकरण में आपत्ति आदि प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार है कि नहीं? बिना इन बिन्दुओं पर विचार किये ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किया है। आवेदकगण द्वारा वादित भूमि के सुधार में किये गये व्यय तथा मकान कुंआ आदि में किये गये श्रम व व्यय आदि पर किसी भी बिन्दु पर न तो विचार किया और न ही यह देखा कि अनावेदिका को निगरानी प्रस्तुत करने की अधिकारिता थी अथवा नहीं। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया पटटा का आदेश दिनांक 17.1.94 एवं 9.9.92 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदकगण द्वारा भूमि खसरा कमांक 111/2 एवं 111/3 का नियम विरूद्व नामांतरण अपने नाम रिवा लिया गया था जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी, कलेक्टर के आदेशानुसार प्रभारी तहसीलदार अमिलिया के द्वारा प्रकरण को पंजीबद्व कर दोनों पक्षों को सुनवाई के पश्चात दिनांक 2.1.07 एवं 22.1.07 को आदेश पारित करते हुये आवेदकगण द्वारा कराये गये अवैध पटटे को निरस्त कर अभिलेख में म0 प्र0 शासन दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि म0 प्र0 शासन के कब्जे में है तथा शासन द्वारा 1997 से उक्त भूमि पर शासकीय उद्यान रोपणी हेतु सुरक्षित है जो शासन के प्रयोजन से लाया जा रहा है। उपरोक्त भूमि पर शासकीय उद्यान रोपणी हेतु नायब तहसीलदार सिंगरौली द्वारा आम इस्तहार जारी कियां जाकर आम सभा में 5 लाख रूपये का बजट एवं उद्यान ले आउट दिनांक 26.1.08 को पारित हो चुका है। लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त शासकीय भूमि पर आवेदगण द्वारा उक्त पौध रोपणी को नष्ट कर दिया गया है। जिसकी सूचना थाना बरगवां में दिनांक 16.7.09 को दी जा चुकी है। बहस में यह लेख किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 20.6.11 को आदेश पारित करते हुये उपरोक्त तथ्यों को सही माना है और आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निरगानी निरस्त कर दी गई थी । अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त रीवा का आदेश उचित होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने एवं अनावेदक कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि उपरोक्त भूमि म0 प्र0 शासन के कब्जे में है तथा शासन द्वारा 1997 से उक्त भूमि पर शासकीय उद्यान रोपणी हेतु सुरक्षित है जो शासन के प्रयोजन से लाया जा रहा है। उपरोक्त भूमि पर शासकीय उद्यान रोपणी हेतु नायब तहसीलदार द्वारा आम इस्तहार जारी किया जाकर आम सभा में 5 लाख रूपये का बजट एवं उद्यान ले आउट दिनांक 26.1.08 को पारित हो चुका था। नायब तहसीलदार वृत्त अमिलिया तहसील सिंगरौली द्वारा दिनांक 4.12.06 को पुर्नावलोकन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आदेश पारित किया गया था। तहसीलदार के आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा भी अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि शासकीय उद्यान पौध रोपणी हेतु सुरक्षित होने के कारण उसका पटटा आवेदकगण के नाम नहीं किया जा सकता, और न ही वह भूमि अन्य किसी को आवंटित की जा सकती। अपर आयुक्त रीवा के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 15/निगरानी/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2011 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर